"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2014— माघ 24, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/2013/19/तक-2. — भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लागू है, की धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे पुलों पर पथकर की वसूली से छूट प्रदान करती है, जिन पर निर्माण की लागत पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी हैं.

परन्तु जहां पथकर की वसूली हेतु आम नीलामी द्वारा ठेकेदारों को प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे पुलों पर पथकर की वसूली ठेकेदारों से निष्पादित अनुबंध की कालावधि व्यतीत होने के बाद ही समाप्त की जायेगी :

परन्तु यह और कि निजी पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत जिन पुलों पर ठेकेदारों द्वारा पथकर की वसूली की जा रही है, उन पुलों पर उक्त छूट लागू नहीं होगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-5-9/2013/19/T-2. — In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851) as is applicable to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby, exempts the levy of tolls on such bridge on which the entire cost of construction has been realised by way of tolls.

Provided that where the collection of tolls has been authorised to contractor by way of public auction, the collection of tolls on such bridges shall be suspended only after period of contract executed with the contractors is expired:

Provided further that said exemption shall not be applicable on the bridges where toll is levied by the contractors under the Private Capital Investment Scheme.

This notificaton shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.